TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II-SECTION 3 - SUB-SECTION (ii) DATED 24-2-, 1993

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 24th February, 1993

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O._____(E) In exercise of the powers conferred by sections 35AC and 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Part II of the Income-tax Rules, 1962, in sub-part F, after rule 11N, the following shall be inserted, namely :-

"CERTIFICATE OF PAYMENT OR EXPENDITURE IN RESPECT OF ELIGIBLE PROJECTS OR SCHEMES NOTIFIED UNDER SECTION 35AC

11-O.

(1) The certificate referred to in Clause(a) of sub-section (2) of section 35AC shall be in Form No.58A.

(2) The certificate referred to in Clause (b) of sub-section (2)of Section 35AC shall be in Form No.58B.

(3) Every public sector company or a local authority or an association or institution, as the case may be, who issues a certificate referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) shall, in respect of the 31st March in each financial year, deliver or cause to be delivered to the Secretary, National Committee, an annual Report indicating the progress of work relating to the project/scheme during the year as well as the following information (Please specify the information in respect of each contributor separately):-

(i) Names of the contributors and their address.

(ii) Permanent Account Number /G.I.R. Number of the contributors.

....2/-

(iii) Amount(s) of contribution.

(iv) The project/scheme for which contribution was made.

(v) Total amount of contribution received during the previous year.

(vi) Total cost of the prject approved by the National Committee (with date of Committee's approval).

(4) Every public sector company or a local authority or an association or institution, as the case may be, who issues a certificate referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) shall send an annual statement of donation received and the details of the project to the National Committee and to each contributor by 30th June, following the financial year in which the amounts are received."

3. In Appendix II of the Income-tax Rules, 1962, after Form No.57 the following forms shall be inserted, namely :-

"FORM NO. 58 A
[See Rule 11-O(1)]

Certificate of expenditure by way of payment in respect of eligible projects or schemes notified under section 35AC

Certified that _____ (P.A. No._____) has
(name & address of donor)

paid a sum of Rs._____ on _____ in cash/
(in figure) (in words) (date)

by cheque No./Demand Draft No._____ in respect of _____
(name of

_____ project or Scheme which has been notified
project or scheme)

under Section 35AC vide Notification S.O._____ dated _____

issued from File No._____ at an estimated cost of Rs.__

_____ for assessment year(s) _____.

It is further certified that the amount received from the donor is within the amount of the project/scheme approved by the National Committee under Section 35AC of the Income-tax Act as may be seen from the following

	Amount in Rs.
Amount received till date as donations from others prior to this donation :	_____

Amount received from donor named in Paragraph 1 _____

Total amount received for the project/scheme including the amount covered under this certificate. _____

Total cost of the project/scheme approved by the National Committee under Section 35AC _____

3. An annual statement of donations received and the details of project will be sent to the National Committee and the donor by 30th June following the financial year in which the amounts are received.

Name _____ Signature _____

Address _____ Name _____

Permanent Account No._____ of the donee organization.

Designation of the person managing the affairs of the donee-organisation___

Date_____

FORM NO. 58B

(See Rule 11-0 (2)

Certificate of expenditure incurred directly by a company in respect of eligible projects or schemes notified under section 35AC

This is to certify that _____ (Name & address of the Contributor) having permanent Account Number/G.I.R. Number _____ has incurred an expenditure of

Rs._____ (in figures and words) during the period from _____ to _____ during the financial year _____ in respect of project or scheme _____ which has been notified under section 35AC vide notification No.S.O._____ dated _____ issued from file No._____ at an estimated cost of Rs._____ for assessment year(s)_____

_____
(Signed)
Accountant **

Place _____

Date _____

** This certificate is to be signed by -

(i) a chartered accountant within the

...4/-

meaning of the Chartered Accountants Act, 1948 (38 of 1949); or

(ii) any person who, in relation to any State is, by virtue of the provisions in sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State."

(V.K. SAKSENA)
UNDER SECRETARY (TPL-I)

No. 9223

F.No. 142/86/92-TPL

Note : The principal rule viz. Income-tax Rules, 1962, as amended from time to time was made vide S.O.969 dated 26.3.1962

भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी, 93

अधिसूचना

आय-कर

का0 आ0 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग और धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के भाग 2 के उपभाग (च) में, नियम 11ढ के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"धारा 35 क ग के अधीन अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों के बारे में संदाय या व्यय का प्रमाणपत्र

11-ण

(1) धारा 35 क ग की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्ररूप संख्यांक 58 क में होगा।

(2) धारा 35 क ग की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्ररूप 58 खमें होगा।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या कोई संगम या संस्था, जो उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देती है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के बारे में सब्दीय समिति के सचिव को एक वार्षिक रिपोर्ट जो जिसमें वर्ष के दौरान

परियोजना/स्कीम से संबंधित कार्य की प्रगति तथा निम्नलिखित जानकारी उपवर्णित होगी, परिदान करेगी या परिदान करवाएगी । (कृपया प्रत्येक अभिदायी के बारे में पृथकत: जानकारी विनिर्दिष्ट करें):-

(i) अभिदायियों के नाम और उनके पते ।

(ii) अभिदायियों के स्थायी लेखा संख्यांक/जी0आई0आर0 संख्यांक

(iii) अभिदाय की रकम (रकमें) ।

(iv) वह परियोजना/ स्कीम जिसके लिए अभिदाय किया गया ।

(v) पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय की कुल रकम ।

(vi) राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना की कुल लागत (समिति के अनुमोदन की तारीख सहित) ।

(4) यथास्थिति प्रत्येक पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था जो उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देती है, प्राप्त किए गए संदान का वार्षिक विवरण और परियोजना के ब्यौरे राष्ट्रीय समिति को और प्रत्येक अभिदायी को उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें रकम प्राप्त की गई है, पश्चात्वर्ती 30 जून तक भेजेगी"

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में, प्ररूप संख्यांक 57 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप में अंत:स्थापित किए जाएगें, अर्थात्:-

"प्ररूप संख्यांक 58 क

(देखिए नियम 11ण(1)

धारा 35 क ग के अधीन अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों के बारे में संदाय के तौर पर व्यय का प्रमाणपत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि _____

(दाता का नाम और पता)

(स्थायी लेखा संख्यांक_____) ने_____

(परियोजना या स्कीम का नाम)

परियोजना या स्कीम के बारे में, जो धारा 35 क ग के अधीन अधिसूचना संख्यांक तारीख _____द्वारा अधिसूचित की गई है और फाइल संख्यांक_____से निर्धारित वर्ष_____के लिए

रूपये की प्राक्कलित लागत पर जरी की गई_____रूपए
{अंकों में}{शब्दों में}

राशि रु._____ को नकद रूप में/चेक संख्यांक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक
{तारीख}

--------द्वारा संदाय किया है ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि दाता से प्राप्त रकम आय-कर अधिनियम की धारा 35 कग के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना स्कीम की रकम के भीतर है, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है ।

	रकम रूपयों में
इस संदान से पूर्व अन्यों से संदानों के रूप में आजतक प्राप्त रकम;	----------
पैरा । में नामित दाता से प्राप्त रकम	----------
परियोजना/स्कीम के लिए प्राप्त कुल रकम जिसके अन्तर्गत इस प्रमाणपत्र के अधीन आने वाली रकम भी है ।	----------
धारा 35 कग के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना/ स्कीम की कुल लागत	----------

3. प्राप्त संदानों का वार्षिक विवरण और परियोजना के ब्यौरे राष्ट्रीय समिति तथा दाता को उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें रकम प्राप्त होती है, पश्चात्वर्ती 30 जून तक भेजे जाएगें ।

आदाता संगठन का

नाम_____ हस्ताक्षर_____

पता_____ नाम_____

स्थायी लेखा संख्यांक_____ --आदाता संगठन के क्रियाकलापों का प्रबंध

तारीख_____ करने वाले व्यक्ति का पद_____

प्ररूप संख्यांक 58ख

(देखिए नियम 11-ण(2)

धारा 35 कग के अधीन अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों के बारे में कंपनी द्वारा प्रत्यक्षत: उपगत व्यय का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____

(अभिदायी का नाम और पता)

के, जिसका स्थायी लेखा संख्यांक जी0आई0आर0संख्यांक _____ है, वित्तीय वर्ष के दौरान _____ परियोजना या स्कीम के बारे में, जो संख्यांक का0 आ0 _____ तारीख _____ द्वारा धारा 35 कग के अधीन अधिसूचित की गई है और वित्तीय वर्ष _____ के लिए _____ रुपए की प्राक्कलित लागत पर फाइल संख्यांक _____ से जारी की गई है, _____ से तक की अवधि के दौरान _____ रुपए का व्यय उपगत किया है ।

(अंकों में और शब्दों में)

स्थान _____

तारीख _____

_____

(हस्ताक्षरित)

लेखा पाल 1+

1+ यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित होगा-

(i) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट ; या

(ii) कोई व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर, किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है ।"

वी0के0सक्सेना

(वी0 के0 सक्सेना)

अवर सचिव (टी0पी0एल0-1)

सं0 9223 फा0सं0 142/86/92-टी0पी0एल0

टिप्पण: मूल नियम अर्थात् आयकर नियम, 1962 समय समय पर संशोधित रूप में का0आ0 969 तारीख 26 मार्च, 1992 द्वारा बनाया गया था ।